

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा**

पीठासीन अधिकारी:- कैलाश चन्द गुर्जर, उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या- 71/2021

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0रा0अ0  
देवीलाल पुत्र जोधा धाकड़ जाति धाकड़ उम्र 72 वर्ष निवासी ग्राम धारड़ी प0ह0  
धावदकलां तह0 रावतभाटा।

विरुद्ध

.....प्रार्थी

1. भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा।
2. गिरधारी पुत्री रघुनाथ धाकड़ निवासी ग्राम धारड़ी तहसील रावतभाटा।
3. नरेश पुत्र रामलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम धारड़ी तह0रावतभाटा।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम  
अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :- श्री भूपेन्द्र पुरोहित।

दिनांक:- 28/03/2022

**-:आदेश:-**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि मौजा ग्राम धारड़ी पटवार हल्का धावदकलां तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 52 आराजी न. 283, 95,97 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8300 कुल लगानी 24.9900 पै0 प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि आराजी संख्या 95 व 97 के पडौसी खातेदार आये दिन मेड व कब्जे को लेकर विवाद होता रहता है जिससे हकाई जुताई करने काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर दिनांक 15.03.2022 को अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पेशकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में दिनांक 24.03.2022 को जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम धारड़ी पटवार हल्का धावदकलां तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 52 आराजी न. 283, 95,97 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8300 कुल लगानी 24.9900 पै0 प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फ़ैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़